संख्या- 147 /2016-1646/नौ-5-16-02एनजीआरबीए/2015

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 18 मई, 2016

विषय: **"नेशनल गंगा रीवर बेसिन अथारिटी कार्यक्रम"** के अन्तर्गत EAP & NONEAP मद में केन्द्रांश के रूप में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्यांश के रूप में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, वित्त, उ0प्र0 राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण के पत्र सं0 361/0061/एस0जी0आर0सी0ए0/05, दिनांक 05.05.2016 एवं 362/0077/एस0जी0आर0सी0ए0/03, दिनांक 05.05.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **"नेशनल गंगा रीवर बेसिन अथारिटी कार्यक्रम"** के अन्तर्गत EAP & NON EAP मद में क्रमशः रू0 1000.76 लाख एवं रू0 3100.35 लाख कुल रू0 4101.11 लाख (केन्द्रांश के रूप में) प्राप्त हुयी है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष में उ0प्र0 राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण के खाते में सीधे उपलब्ध करायी गई है, के आधार पर राज्यांश के रूप में क्रमशः रू0 461.143 लाख एवं रू0 1343.571 लाख कुल रू0 1804.714 लाख (रू0 अठराह करोड चार लाख इक्हत्तर हजार चार सौ मात्र) को निम्नलिखित विवरण/शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते है :-

योजना का नाम	केन्द्रांश के रूप में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि ।	राज्यांश के रूप में स्वीकृत धनराशि।
एन0जी0आर0बी0ए0 नान ई0ए0पी0	रू0 1000.76 लाख	रू0 461.143 लाख
एन0जी0आर0बी0ए0 ई0ए0पी0	रू0 3100.35 लाख	रू0 1343.571 लाख
योग एन0जी0आर0बी0ए0 ई0ए0पी0 + नान ई0ए0पी0	**रू0 4101.11 लाख**	**रू0 1804.714 लाख**

(1) भारत सरकार के आदेश सं0-एफ-38/2014-15/145/एन0एम0सी0जी0/स्टेट फण्ड रिलीजेज दिनांक 28.04.2016 एवं आदेश सं0- एफ-38/2014-15/145/ एन0एम0सी0जी0/स्टेट फण्ड रिलीजेज, दिनांक 28.04.2016 द्वारा निर्धारित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय ।

(2) उक्त धनराशि, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ तथा विशेष सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके लखनऊ कोषागार/ भारतीय स्टेट बैक से आहरित कर व्यय की जायेगी ।

(3) इस स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैक/ पोस्ट आफिस /डिपाजिट खाते /पीएलए में नही रखा जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत जारी किये गये दिशा निर्देशो के अनुरूप अनुमोदित योजना पर ही व्यय की जायेगी, जिसका विस्तृत विवरण तथा भौतिक प्रगति शासन को प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक भेजा जाना आवश्यक हैं ।

go finance mangal font

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो पर किया जायेगा जिसका लिये स्वीकृत की जा रही है । स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में नही किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र दिशा-निर्देशो के अनुसार यथासमय शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को भेजा जाना वांछनीय है ।

(6) भारत सरकार द्वारा परिवर्तित व्यवस्था के अनुसार राज्यांश की धनराशिचालू कार्यो के लिये स्वीकृत की जायेगी जिसके व्यय विवरण राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण द्वारा रखे जायेगे।

(7) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं में से व्यय प्रथमिकता के अनुसार परियोजना पर व्यय की जायेगी ।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों /उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-02-मल-जल तथा सफाई-107-मल-जल सेवायें -01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101- नेशनल गंगा रीवर बेसिन अथॉरिटी के अन्तर्गत संचालित परियोजनाए (के.70/रा.30) -35-पूर्जीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 148 /2016-1646/नौ-5-16-02एनजीआरबीए/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ ।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो
7- वित्त निदेशक/ तकनीकी सलाहकार, राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण, लखनऊ।
9- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- नियोजन अनुभाग- 3/4
11- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

((रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

go finance mangal font

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-18/05/2016

प्रेषण संख्या:- 143

आवंटन आदेश संख्या:- 001-143-2016-1646-9-5-16-2NGRBA-15

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

02 - मल-जल तथा सफाई

107 - मल - जल सेवाएं

01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं

01 - नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथारिटी के अन्तर्गत

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	180471400 180471400	180471400 180471400
	योग	वर्तमान प्रगामी	180471400 180471400	180471400 180471400

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अठारह करोड़ चार लाख इकत्तर हजार चार सौ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अठारह करोड़ चार लाख इकत्तर हजार चार सौ

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी